रजि०-२५

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल–25, रामगंगा विहार–प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष संख्या–0591–2450066)

पत्रांक- 2783 /14-1 दिनांक, मुरादाबाद, **मई, 19** 2021.

सेवा में,

श्री कुमार अविनाश,
टेरीटरी मैनेजर रिटेल,
भारत पैट्रोलियम कार्पो0 लि0, आबू का मकबरा केसरगंज,
मेरठ–250002 ।

विषयः– जनपद मुरादाबाद में भारत पैट्रोलियम कार्पो0 लि0, मेरठ द्वारा मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कांठ) मार्ग (एस0एच–49) के कि0मी0 19–20 चैनेज 19.138 की बॉयी पटरी पर ग्राम खलीलपुर अमरू तहसील की खसरा/गाटा संख्या–187/1 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पैट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.075063 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र सं0–2677/11सी–FP/UP/Others/125077/2021 दिनांक 11–05–2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबन्ध में अवगत कराना है, कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय बिन्दु संख्या–1 से आपत्ति की गयी हैं, जिसमें बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित है। अतः आपसे अनुरोध है, कि आप प्रश्नगत प्रकरण में लगायी गयी आपत्ति का अतिशीघ्र निस्तारण कर वांछित सूचना/अभिलेखों की 5 प्रतियॉ मूल में तथा उक्त आपत्ति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2501/11सी, दि0 24–5–2016 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रभाग स्तर से मांगी गयी सूचना/अभिलेखों की प्रतियॉ अतिशीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके। अन्यथा की स्थिति में प्रभाग स्तर से अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि :–वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

दिनाँक : 22.04.2021

...बी/...117/2021/एफ0सी0 /59

सेवा में
मुख्य ... वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी,
17, ... मार्ग
लखनऊ उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Others/125027/2021

विषय:- जनपद मुरादाबाद मे भारत पेट्रोलियम कॉर्पो0लि0, मेरठ मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून(मुरादाबाद–कांठ) मार्ग (एन0एच0–49) किमी0 19–20 चैनेज 19.138 की बायीं पटरी पर ग्राम खलीलपुर अमरू, तहसील कांठ की खसरा/गाटा सं0–187/1, पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075063 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–2536/11–सी–FP/UP/Others/125027/2021 लखनऊ, दिनांक – 31.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण मे राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके–

1- Positional error is found in area proposed to be diverted. The Geo-coordinate points No. "B and I" in georeferenced map is not matching properly, this needs rectification.

भवदीया,
23.04.2021
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
4. प्रादेशिक प्रबन्धक(रिटेल) भारत पेट्रोलियम कॉर्पो0लि0, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ–250002.
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–2677/11सी– FP/UP/Others/125027/2021 दिनांक, लखनऊ, मई 11 , 2021

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से समेकित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ 250002 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेषित

11/05/21
(संजय कुमार दीक्षित)
प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम–1980,
उ0प्र0, लखनऊ

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

Lt. ST Page No.1055

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण/आवश्यक
(ई मेल द्वारा)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–2501 /11–सी– , दिनांक, लखनऊ, मई 24 2016

सेवा में,

समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विशय– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों पर अनुपालन आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (मध्य क्षेत्र), लखनऊ का पत्रांक–II/FC/ROC/95-20011/Part-V/1222, dated 02.02.2016

2394
3-6-2016

महोदय,

भारत सरकार ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.02.2016 से अवगत कराया है कि उनके स्तर से वनभूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों पर जो आपत्तियाँ लगाई जाती है, उनके निराकरण में अधिकांश प्रकरणों में आपके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर पर कवरिंग पत्र लगाते हुए उसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित कर दी जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। इस क्रम में भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि वनभूमि हस्तांतरण के जिन प्रकरणों पर उनके द्वारा आपत्ति (Observations) लगायी जाती है उन पर अनुपालन आख्या मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन संरक्षक द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रारूप में प्रेषित किया जाए–

Observ No	Observation of GOI	Reply
1	2	3
1		
2		
3		
4		
[illegible]		
6		
7		
8		
9		

इसी प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त अंतिम स्वीकृति निर्गत कराये जाने हेतु जो अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है वह भी निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाए–

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Letter-43

Scanned with CamScanner

	CA amount as per proposal	
	CA amount deposited	
	Difference in amount	
	Reason for difference	
	NPV amount as per proposal	
	NPV amount deposited	
	Difference in amount	
	Reason for difference	
	Any other amount deposited (Complete details be provided)	
	CAMPA confirmation	

इस विषयक भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिये है कि जब तक उन्हे उक्त प्रारूप में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उनके स्तर से आपके उत्तर/पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी कि उन्हे अधूरी अनुपालन आख्या/उत्तर प्रेषित न किया जाए क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता है।

अतः भारत सरकार के उक्त आदेशों का अनुपालन अपने क्षेत्र में करना/कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्याल (मध्य) भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ को उनके पत्रांक II/FC/ROC/95-20011/Part-V/1222, dated 02.02.2016 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रमुख सचिव (वन), वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2, उ०प्र० शासन को भारत सरकार के पत्रांक II/FC/ROC/95-20011/Part-V/1222, dated 02.02.2016 जो अधोहस्ताक्षरी द सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरक द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

24/5/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

Letter-44

Scanned with CamScanner